उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

संख्या-117/2022/ यू0ओ0-44/52-1-2022-342275

लखनऊ: दिनांक 16 दिसम्बर, 2022

कार्यालय -ज्ञाप

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत जनपद गाजीपुर के वि0ख0 खण्ड भदौरा के ग्राम पंचायत ताजपुर कुर्रा एवं ग्राम पंचायत मनिया में पेयजल आपूर्ति योजना के निर्माण की द्वितीय किश्त केन्द्रांश की धनराशि शासनादेश संख्या-93/2022/1167/52-1-2022-15(पी0एम0जे0वी0के0)/22 दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 द्वारा पूर्व में जारी की जा चुकी है। त्रुटिवश पुन: उसी कार्य हेतु केन्द्रांश की धनराशि शासनादेश संख्या-112/2022/1152/52-1-2022-342275 दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 द्वारा भी निर्गत की गयी है।

अत: उक्त द्विरावृत्ति के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-112/2022/1152/52-1-2022-342275 दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या–यू0ओ0-44(1)/बावन-1-2022-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारीउत्तर प्रदेश (, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षाप्रथम एवं द्वितीय उ (0प्र0, इलाहाबाद।
4. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
6. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. निदेशक, नमामि गंगे जलापूर्ति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, **उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।**
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. जिलाधिकारीजिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/, **गाजीपुर**
12. वित्त (आय-अनुभाग (व्ययक-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13. लेखाधिकारीवेब अधिकारी/, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in